0रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1365] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2015/ आषाढ़ 4, 1937
No. 1365] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2015/ASADHA 4, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून , 2015

का.आ. 1736(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की एक प्रारुप अधिसूचना, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य में पुलीकट पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की घोषणा की गई जिसे का.आ. 22(अ) तारीख 3 जनवरी, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध राजपत्र की प्रतियां तारीख 3 जनवरी, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

और, केंद्रीय सरकार ने विचार किया है कि पुलीकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली हुई भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की समुद्रताल/तट मग्न भूमि है जिसमें शीतऋतु के प्रवासी पक्षी आते हैं और यह विभिन्न जलचर और स्थलचर पक्षियों जैसे बृहद और लघु हंसावरों, जांघिलों, बड़े और करछिया बगुलों, भूरे हवासिलों, भूरे बगुलों और जल पक्षियों जैसे उत्तरी सीखपर, श्यामपंखी बड़ा पनेवा, उत्तरी तिदारियों, सामान्य चैती, सामुद्रिक, कुरकी, टिटिहरी, बटान, टिकरी, गुलिंदा आदि के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्थल है, और शीत के दौरान आने वाले प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि झील भोजन और परभक्षियों से सुरक्षा प्रदान करती है।

और, अभयारण्य जिला नैल्लोर के पांच मंडलों ताडा, सुल्लुरपेट, डोरावेरीसतरम, चित्तामूर, और वाकाडु को आच्छादित करते हुए लगभग 460 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है ;

और, अभयारण्य क्षेत्र में श्रीहरिकोटा द्वीप पर कच्छ वनस्पति, तटीय वनस्पति और बैंतझाड़ी से विकीर्णित दक्षिणी

उष्णकटिबन्धी शुष्क सदाबहार वनों के अवशेषों के अतिमहत्वपूर्ण खंड हैं जो अत्यंत वानस्पतिक महत्व का है ;

और, इस अभयारण्य में प्राणी जात के मुख्य प्रवर्ग हैं जिसमें अन्य के साथ-साथ जिसके अंतर्गत अकशेरुकियों में झींगा, समुद्री झींगा, केकड़ा, प्राणीप्लवक, सीलन्टरेट, एनेलिड, मोलस्क और शूलचर्मी, मत्स्य की 168 प्रजातियां, तुङ्गिल छिपकली, शिरस्त्राण, नाग, रसल घोषारु, करैत, वनशूकर, जंगली बिल्ली और सियार तथा विभिन्न पक्षी वर्ग हैं ;

और, मुख्य पक्षी प्रजातियों, जो पुलीकट झील में बृहद हंसावर (प्रत्येक वर्ष लगभग 30,000 हंसावर पुलीकट में आते हैं) और ऐसे अन्य भरण प्रवासी पक्षी जैसे पैलीकन, जांघिल, विवृत चंचु वलॉक, धूसर बगुले, जलकॉक, श्वेत बुज्जा, दाबिल, बगुला, जलशैल बगुले, चकत्ता चंचु बतख, उत्तरी तिदारी, उत्तरी सीखपर, बलुई पाईपर्स, सामुद्रिक और नदी कुरकी भी हैं ;

और, बृहद हंसावर (फोनिकोप्टैरस रोजस) प्रजनन स्थल कच्छ के रण मे आते हुए अक्तूबर के दौरान पुलीकट में आता है और अप्रैल के दौरान वापस लौटता है और इसे एक संकटापन्न प्रजाति के संरक्षण की आवश्यकता है ;

और, पारस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पुलीकट पक्षी अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र जिसकी सीमा और विस्तार इस अधिसूचना के पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट है, को पारस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन उद्योग या उद्योगों के वर्ग और उनके प्रचालन और प्रसंस्करण को प्रतिषेध करना आवश्यक है ;

अतः, अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में पुलीकट पक्षी अभयारण्यके उत्तर से दक्षिण दो किलोमीटर के क्षेत्र को पारस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं - (1) आंध्रप्रदेश राज्य में पुलीकट पक्षी अभयारण्य का पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर से दक्षिण तक दो किलोमीटर तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का विस्तृत वर्णन इस अधिसूचना से उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र इस अधिसूचना से अक्षांश और देशांतर के साथ उपाबंध II में भी उपाबद्ध है ;

(4) पुलीकट पक्षी अभयारण्य की सीमा से बाहर और पुलीकट पक्षी अभयारण्य सवेदी जोन के भीतर आने वाले तेईस ग्रामों की सूची उनके अक्षांश और देशांतर के साथ प्रमुख बिंदुओं पर इस अधिसूचना में उपाबंध III के रूप में उपाबद्ध है :

परंतु उपाबंध III में दी गई ग्रामों की सूची आंचलिक महायोजना तैयार करते समय राज्य सरकार द्वारा और पुनरीक्षित तथा पुष्टि होगी ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंध के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना पुलीकट झील के संरक्षण के लिए पारिस्थितिक सिद्धांतों पर आधारित होगी ।

(3) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(5) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक की विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन और वन्यजीवन ;
(iii) कृषि ;
(iv) सड़क और भवन ;
(v) राजस्व ;
(vi) शहरी विकास ;
(vii) पर्यटन ;

(viii) ग्रामीण विकास ;
(ix) नगरपालिक ;
(x) पंचायत राज ;
(xi) सिंचाई ; और
(xii) लोक निर्माण विभाग ।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिक अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र, जैसे, उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**-- राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 17, सं. 19, सं. 25, और सं. 27 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पर्यावरण हितेशी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी अभिभोग के लिए पर्यावरण हितेशी कुटीर जैसे तम्बू काश्ठ के घर;
(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और मजबूत बनाना;
(iii) वर्षा जल संचय; और
(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, भंडारण सुविधाएं और स्थानीय सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपमंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनउत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक स्रोतों** .- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट के क्षेत्र, जिन्हें ऐसे क्षेत्र को अभ्यकंन है, में विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** .– (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना आंध्र प्रदे ा पर्यटन विभाग, द्वारा वन और पर्यावरण विभाग आंध्र प्रदे ा सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पुलीकट पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटन के अस्थायी अधिभोग के लिए आवासन के सिवाय होटल और सैरगाहों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार अभयारण्यकी सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे, नए होटलों और सैरगाहों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए अभिहित क्षेत्रों में अनुज्ञात होंगे ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** .- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** .- परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाई** .-

पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी औद्योगिक इकाई की नई स्थापना अनुज्ञान नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	अ. प्रतिसिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	तटीय जल कृषि ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी प्रकार की जल कृषि, या तो खारे पानी या स्वच्छ पानी में अनुज्ञात नहीं होगी ।
(2)	औद्योगिक इकाई ।	(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई लकड़ी पर आधारित कोई स्थापन नहीं होगा । (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नया प्रदूषण करने वाला या उच्च प्रदूषण करने वाला स्थापन नहीं ।
(3)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वाणिज्यिक खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के संदर्भ में संनिर्माण या गृहों की मरम्मत और निजी खपत के लिए, देशीय खपड़ा या ईंटों के विनिर्माण के लिए भूमि की खुदाई के सिवाय प्रतिसिद्ध होंगी । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(4)	वृहत्त पैमानो पर वाणिज्यिक क्रियाकलाप के रूप में गैर-परंपरागत रीति से यात्रियों द्वारा मछली पकड़ना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(7)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और कृषि परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	पोलीथीन के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(10)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(11)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

	गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	
	विनियमित क्रियाकलाप	
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(i) पुलीकट पक्षी अभयारण्य की सीमा से पारिस्थितिक संवेदी जोन में 100 मीटर की दूरी तक किसी प्रकार के नए संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, सिवाय नलकूपों के कक्ष, जिनका परिमाण 1000 वर्ग इंच से अधिक नहीं होगा । (ii) पुलीकट पक्षी अभयारण्य की सीमा से 100 से 500 मीटर के मध्य पारिस्थितिक संवेदी जोन में दो मंजिली (25 फीट) से अधिक के किसी भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा । (iii) पुलीकट पक्षी अभयारण्य की सीमा से पारिस्थितिक संवेदी जोन में 500 मीटर की दूरी तक नई उच्च विद्युत पारेषण की लाइनों की तारें बिछाना अनुज्ञात नहीं होगा ।
(13)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
(14)	जल का निकर्षण ।	(i) जल निकाय के उच्च ज्वार भाटा रेखा से 100 मीटर के भीतर भूमिगत जल का निकर्षण अनुज्ञात नहीं होगा, सिवाय ml क्षेत्र में, जहां स्थानीय निवासी निवास करते हैं और केवल उनके उपयोग के लिए । (ii) जल निकाय की उच्च ज्वार भाटा रेखा से 100 मीटर से परे भूमिगत जल का निकर्षण भूखंड के अधिभोगी के केवल कृषि और घरेलू खपत के लिए यथालागू नियम और विनियम के अनुसार अनुज्ञात होगा । (iii) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(15)	उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(16)	ठोस अपशिष्ट ।	का.आ. संख्यांक 908(अ), तारीख 25-09-2000 द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार ले जाया जाएगा ।
(17)	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक स्थापन होटल और आरामगाह, सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवासन अनुज्ञात नहीं होंगे : परंतु एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा ।
(18)	विद्युत केबलों को बिछाना ।	भूमिगत केबुल को प्रोत्साहित किया जाएगा ।
(19)	सड़कों को चौड़ा करना और मजबूत बनाना ।	यथालागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे ।
(20)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(21)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	नदी के किनारों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	साइन बोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	अनुमति प्राप्त क्रियाकलाप :	
(24)	संपोषणीय मत्स्य पालन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(25)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(26)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(27)	कृषि करने, जिसके अंतर्गत बागवानी, उद्यान कृषि और फलों उद्यान भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(28)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	जैव गैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
(29)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(30)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) जिला कलक्टर, नेल्लोर - अध्यक्ष ;

(ii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(iii) आंध्र प्रदेश राज्य के ख्याती प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र में प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(iv) भारत वन्यजीव संस्थान का प्रतिनिधि, देहरादून - सदस्य ;

(v) प्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;

(vi) संबंधित ज्येष्ठ नगर नियोजक - सदस्य ;

(vii) उप वन संरक्षक/प्रखंड वन अधिकारी, भारसाधक पुलीकट पक्षी अभ्यारण्य – सदस्य-सचिव ।

निर्देश का निबंधन

(2) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/48/2013-ईएसजेड-आरई]

डा. जी. वी. सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का विस्तृत वर्णन

उत्तर : पुलीकट पक्षी अभ्यारण्य की पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की सीमा वालामेदु ग्राम के उत्तर से 1 कि.मी. दूरी से प्रारंभ होती है और 2 कि.मी. पूर्वी दिशा में आगे बढ़ती है तथा बंगाल की खाड़ी में मिलती है।

पूर्व : पुलीकट पक्षी अभ्यारण्य की सीमा बंगाल की खाड़ी की समुद्री रेखा के सभी ओर पूर्वी दिशा की तरफ पुलिंजरिकुप्पम ग्राम की उत्तरी दिशा में 750 मी. पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की अंतरराज्यिक सीमा तक पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की सीमा है।

दक्षिण : पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र रेखा पुलिंजरिकुप्पम ग्राम के उत्तरी ओर 750 मी. पर आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु की अंतरराज्यिक सीमा पर प्रारभ होती है तथा दक्षिण की ओर तमिलनाडु राज्य की सीमा के साथ आगे बढ़ती है और तत्पश्चात् पश्चिम ओर आगे बढ़ती है तथा उसके पश्चात् उत्तरी ओर आगे बढ़ती है और अरमबक्कम ग्राम के पश्चिमी ओर 200 मीटर पर समाप्ति होती है।

पश्चिम : पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र रेखा करुरु ग्राम के निकट रा.रा.5 के पश्चिम ओर 200 मीटर की दूरी पर तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश राज्य की सीमा से प्रारंभ होती है जो स्टेशन सं. 1 है और रेखा 200 मीटर की दूरी पर रा.रा. 5 के पश्चिम ओर के साथ आगे बढ़ती है तथा टाडा, श्रीकालहस्ती मार्ग जंक्शन पर काटती है तथा स्टेशन सं. 2 पर मिलती है जो चेनीगुंटा ग्राम की रेलवे क्रासिंग है तथा स्टेशन सं. 3 पर बटेम्बेडु ग्राम को छूती हुई उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और तत्पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है तथा करीजथा ग्राम के स्टेशन सं. 4 पर छूती है, तत्पश्चात् रेखा पश्चिमी ओर आगे बढ़ती है तथा उलासपाडवा सिंचाई तालाब के स्टेशन सं. 5 को छूती है, तत्पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और कोनपल्ली ग्राम में स्टेशन सं. 6 पर छूती है, तत्पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है, तदुपरि रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और आनेगोट्टम ग्राम के निकट स्टेशन सं. 8 को छूती है और उसके पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा में आगे बढ़ती हुई पुलाथोटा ग्राम में स्टेशन सं. 9 को छूती है, तत्पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा में आगे बढ़ती हुई स्टेशन सं. 10 को डिगुवा वरट्टूर के निकट छूती है और तदुपरि रेखा आगे बढ़ती हुई अरूर ग्राम के निकट स्टेशन सं. 11 को छूती है, तत्पश्चात् रेखा उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और कोगिली ग्राम में स्टेशन सं. 12 को छूती है और तदुपरि रेखा कोक्कुपलेम ग्राम के निकट स्टेशन सं. 13 को छूती है, तदुपरि रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और स्टेशन सं. 14 पर छूती है, तत्पश्चात् रेखा उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ती है तथा अंदलमाला ग्राम के निकट स्टेशन सं. 15 पर छूती है, तदुपरि रेखा उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर बढ़ती है तथा वालामेंदु ग्राम के निकट स्टेशन सं. 16 पर बंगाल की खाड़ी की समुद्र रेखा पर मिलती है, जो एक बंद स्टेशन है।

उपाबंध-II

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन को दर्शित करने वाला मानचित्र

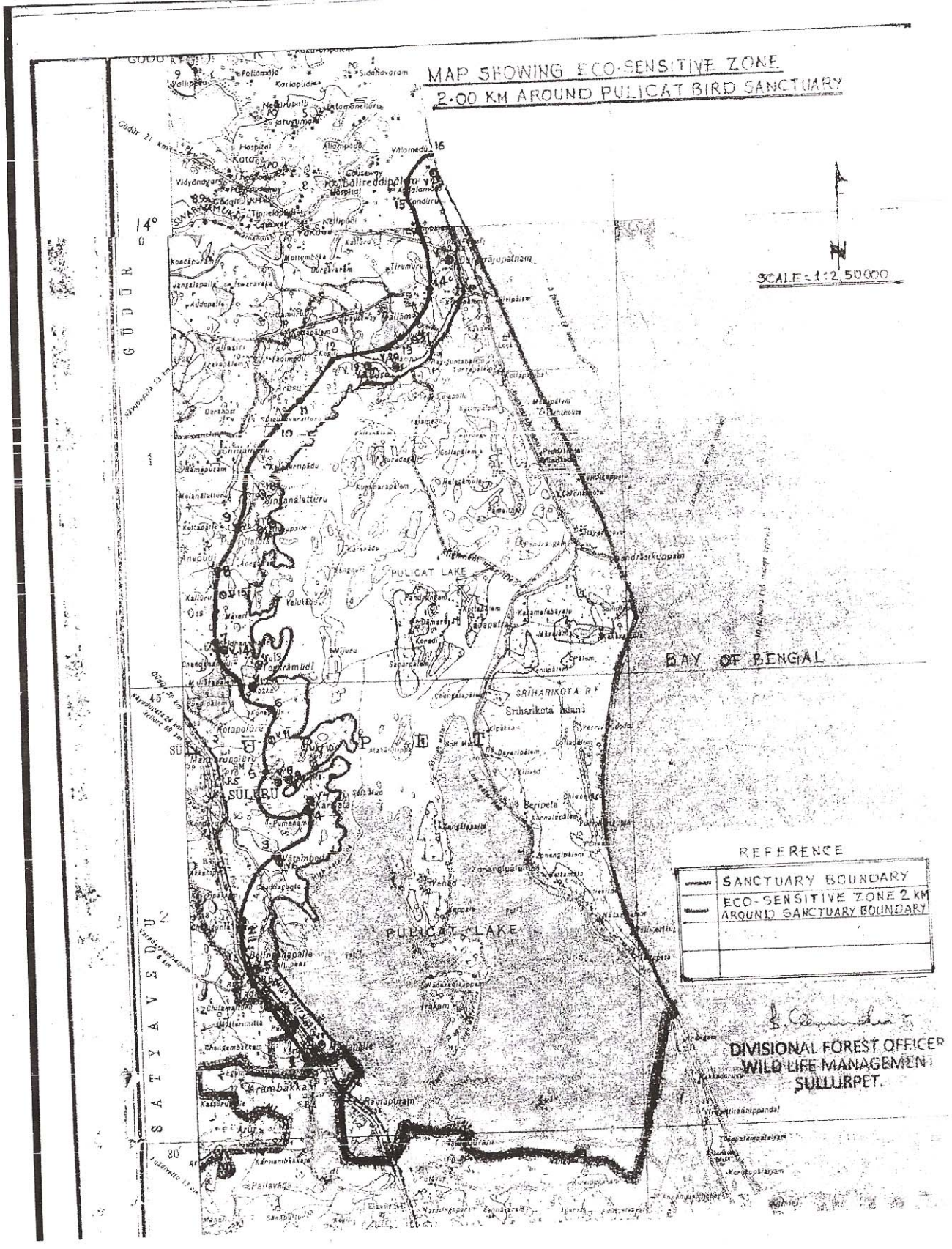

2845GI/15-3

उपाबंध-II

स्टेशन सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	80.06430	13.54570
2.	80.02710	13.62600
3.	80.05350	13.64849
4.	80.07013	13.68507
5.	80.04316	13.69985
6.	80.04991	13.73569
7.	80.01249	13.77264
8.	80.01540	13.81469
9.	80.03244	13.83767
10.	80.04722	13.89051
11.	80.05759	13.90740
12.	80.09156	13.92855
13.	80.12279	13.92966
14.	80.14004	13.96720
15.	80.13368	13.01651
16.	80.14561	13.04674

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची ।

क्रम सं.	राजस्व ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
ग्रा. 1	भीमुनिवारी पलेम कुप्पम	13.5461200	80.0723000
ग्रा. 2	भीमुनिवारी पलेम	13.5448200	80.0678900
ग्रा. 3	पुडी	13.5606700	80.0545200
ग्रा. 4	तडा	13.5874800	80.0347800
ग्रा. 5	तडा कांद्रिगा	13.5953300	80.0292800
ग्रा. 6	वटेमवेडु	13.6543700	80.0481400
ग्रा. 7	कारिजथा	13.6831100	80.0657900
ग्रा. 8	दवाडिगुंटा	13.6952700	80.0430100
ग्रा. 9	केसीएन गुंटा	13.6965500	80.0465800
ग्रा. 10	कुदिरी	13.7071800	80.0704300
ग्रा. 11	मन्नेमुटुरु हरिजन वाड़ा	13.7182100	80.0301300
ग्रा. 12	अबाका	13.7499500	080.03.465
ग्रा. 13	टोगारामुडी	13.7604500	80.0419000
ग्रा. 14	श्रीधनमल्ली	13.7742700	80.0202200
ग्रा. 15	कल्लूरु कांद्रिगा	13.8006000	80.0267200
ग्रा. 16	कट्टूवपलै	13.8348500	80.0442500
ग्रा. 17	कट्टूपलै हरिजन वाड़ा	13.8346800	80.0499400
ग्रा. 18	सिंगनलट्टूरु	13.8567800	80.0369300
ग्रा. 19	यैल्लुरु	13.9131500	80.1154300
ग्रा. 20	पल्लमपार्थी	13.9231200	80.1229200
ग्रा. 21	कोक्कूपलेम	13.9366400	80.1356000
ग्रा. 22	दुग्गाराजपट्टनम	13.9803900	80.1560600
ग्रा. 23	थुपिलिपलेम	14.0345000	80.1420100

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2015

S.O. 1736(E).—Whereas, a draft notification, for declaration of Eco-sensitive Zone around Pulicat Bird Sanctuary in State of Andhra Pradesh was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 22 (E), dated the 3rd January, 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 3rd January, 2014;

And Whereas, all objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

And Whereas, the Central Government considers that the Pulicat Lake is the second largest brackish water lagoon/wetland in India spread over Andhra Pradesh and Tamil Nadu which attracts winter migratory birds and is an important feeding ground for a variety of aquatic and terrestrial birds like Greater and Lesser Flamingoes, Painted Stroks, Large and Little Egrets, Grey Pelicans, Grey Herons and Water birds such as Northern Pintails, Black winged Stilts, Northern Shovellers, Sandpipers, Plovers, Common Coots, Curlews, etc., and is famous for large number of migratory birds visiting during winter as the lake offers food and protection from predators;

And Whereas, the sanctuary extends to about 460 square kilometer in Andhra Pradesh covering five mandals of Tada, Sullurpet, Doravarisatram, Chittamur and Vakadu of Nellore District;

And Whereas, the sanctuary area has some very significant patches of remnants of southern tropical dry ever green forests interspersed with mangrove forest, littoral vegetation and cane brakes on Sriharikota Island which are of considerable Botanical interest;

And Whereas, the sanctuary has the different categories of fauna which *inter alia* include invertebrates - Prawns, Lobsters, Crabs, Zoo planktons, Coelenterates, Annelids, Molluscs and Echinoderms, 168 species of fish, Monitor lizard, Calotes, Cobra, Russel Viper, Krait, Wild Boar, Jungle Cat, Jackal and many bird species;

And Whereas, the principal bird species that visit Pulicat Lake is Greater Flamingo (about 30,000 Flamingoes visit Pulicat every year) and other feeding migrants such as Pelicans, Painted Storks, Open billed Stroks, Grey herons,

Cormorants, White Ibises, Spoonbills, Egrets, Reef Herons, Spot billed Ducks, Northern Shovellers, Northern Pintails, Sand Pipers, Gulls and River terns;

And Whereas, the greater Flamingo (*Phoenicopterus roseus*) - endangered species requiring protection - visits Pulicat during October coming from Great Rann of Kutch, the breeding place and returns back during April;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Pulicat Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processed in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of two kilometers from north to south all along the western boundary of the Pulicat Bird Sanctuary in the State of Andhra Pradesh as an Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.**- (1) The extent of Eco-sensitive Zone is two kilometers from north to south all along the western boundary of the Pulicat Bird Sanctuary in the State of Andhra Pradesh.

(2) The detailed description of boundaries of the Eco-sensitive Zone is appended to this notification as **Annexure I**.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure II**.

(4) The list of twenty three villages falling outside the boundary of the Pulicat Bird Sanctuary and falling within the Pulicat Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone along with their longitudes and latitudes at prominent points are appended as **Annexure III**:

Provided that the list of villages as given in Annexure III shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the effective Management of Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be based upon ecological principles for conservation of Pulicat lake.

(3) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Roads and Building;
(v) Revenue;
(vi) Urban Development;
(vii) Tourism;
(viii) Rural Development;
(ix) Municipal;
(x) Panchayat raj ;
(xi) Irrigation; and
(xii) Public Works department;

for integrating environmental and ecological considerations into the said plan.

(6) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 17, 19, 25 and 27 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads;

(iii) Rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Andhra Pradesh.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Pulicat Bird Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units**

No new establishment of any industrial unit shall be permitted in the Eco- sensitive zone.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Coastal Aqua culture.	No Aqua culture either brackish water or fresh water aqua culture is permitted within Eco-sensitive zone.
2.	Industrial units.	(i) Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone. (ii) No establishment of any new polluting or highly polluting industry within Eco-sensitive Zone.
3.	Commercial Mining, stone quarrying, crushing units.	(a) Commercial mining (minor and major minerals), stone quarrying, crushing units shall be prohibited within the Eco-sensitive Zone except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
4.	Fishing by trawlers in untraditional manner as a large scale commercial activity	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of Polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
12.	Construction activities.	(i) From the boundary of Pulicat Bird sanctuary upto a distance of 100 metre in the Eco-sensitive Zone, no new construction of any kind shall be allowed except tubewell chambers of dimension not more than 1000 cubic inches. (ii) The construction of any building more than two storeys

		(twenty five feet) shall not be allowed in the Eco-sensitive Zone area between 100 to 500 meters from the boundary of the Pulicat Bird Sanctuary. (iii) The lying of new high tension transmission wires shall not be allowed from the boundary of Pulicat Bird Sanctuary to a distance of five hundred meters in the Eco-sensitive Zone.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accorda nce with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
14.	Extraction of waters.	(i) No extraction of Ground Water shall be permitted within 100 m from the High Tide line of the water body except in areas which are inhabited by local communities and only for their use. (ii) Beyond 100 m from the High Tide line of the water body extraction of ground water shall be permitted only for the bonafide agricultural and domestic consumption of the occupier of the plot as per applicable rules and regulation. (iii) All steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water including from agriculture.
15.	Discharge of treated effluents.	Regulated under applicable laws.
16.	Solid waste.	Carried out as per the provision of the Municipal Solid waste management Rules, 2000 published vide number S.O. 908(E) dated 25.09.2000.
17.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities should be in conformity with the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
18.	Erection of electrical cables.	Promote underground cabling.
19.	Widening of roads and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose only as per applicable laws.
21.	Introduction of exotic species.	Regulated as per applicable laws
22.	Protection of river banks.	Regulated as per applicable laws.
23.	Signboard and hoardings.	Regulated as per applicable laws.
Promoted Activities		
24.	Sustainable fisheries.	Shall be actively promoted.
25.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
26.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
27.	Cottage industries including village	Shall be actively promoted.

	industries, convenience stores and local amenities.	
28.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc. to be promoted.
29.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
30.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities through organic farming and traditional fishing.	Permitted as per applicable laws.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(i) District Collector, Nellore – Chairman;

(ii) a representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for a term of one year in each case – Member;

(iii) one expert in the area of ecology and environment from reputed Institution or University of the State of Andhra Pradesh to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for a term of one year in each case- Member;

(iv) Representative of Wildlife Institute of India, Dehradun – Member

(iv) Regional Officer, State Pollution Control Board – Member

(v) Concerned senior Town Planner – Member

(vi) Deputy Conservator of Forests/Divisional Forest Officer incharge of Pulicat Bird Sanctuary —Member Secretary.

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Deputy Conservator of Forests/Divisional Forest Officer incharge of Protected Area shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

[F. No. 25/48/2013-RE-ESZ]

Dr. G.V.SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

2845GI/15-5

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

Annexure I

Detailed description of boundaries of the Eco-sensitive Zone

North: Eco-Sensitive Zone boundary of Pulicat Bird Sanctuary starts from 1 Km distance from North Valamedu Village and proceeds towards Eastern direction for 2 Kms and joins at Bay of Bengal.

East: The boundary of the Pulicat Bird Sanctuary is the boundary of the Eco-sensitive Zone towards eastern side all along the shore line of Bay of Bengal upto inter-state boundary of Tamil Nadu and Andhra Pradesh at 750m northern side of Pulinjerikuppam village.

South: The Eco-sensitive zone line starts at inter-state boundary of Andhra Pradesh and Tamil Nadu at 750m Northern side of Pulinjerikuppam village and runs all along the Tamil Nadu State boundary towards South and then runs towards west side and then runs Northern side and ends at 200meters western side of Arambakkam village.

West: The Eco-sensitive Zone lines starts from Tamil Nadu and Andhra Pradesh state boundary at a distance of 200 mtrs Western side of NH 5 near Karuru Village which is Station No.1 and the line runs along the Western side of NH 5 at a distance of 200mts and crosses NH 5 at Tada, Srikalahasthi Road Junction and joins at station No.2 which is the Railway crossing of Chenigunta village, and runs towards Northern direction touching vatembedu Village at Station No. 3, and then the line runs towards northerly direction and touches at Station No.4 of Karijatha Village, then the line runs Western side and touches Station No. 5 of Ulasapadava Irrigation Tank, then the line runs towards northerly direction and touches at Station No. 6 at Konepalli Villlage, then the line runs towards northerly direction touches at Station No. 7 Sridhanamalli Village, then the line runs northerly direction touches at Station No. 8 near Aanegottam Village and then the line runs Northern direction touches Station No. 9 at Pulathota Village, then the line runs Northern direction touches at Station No.10 near Diguva varattur and then the line proceeds and touches Station No.11 near Arur Village and then the line proceeds towards North-East direction touches Station No. 12 at Kogili Village and then the line proceeds towards Eastern direction and touches at station No.13 near Kokkupalem Villlage, then the line runs towards northerly direction and touches at station No.14, then the line runs towards northerly direction and touches at Station No.15 near Andalamala Village, then the line runs towards North-East Direction and joins at Sea shore line of Bay of Bengal at Station No. 16 near Valamedu Village which is closed Station.

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone along with coordinates

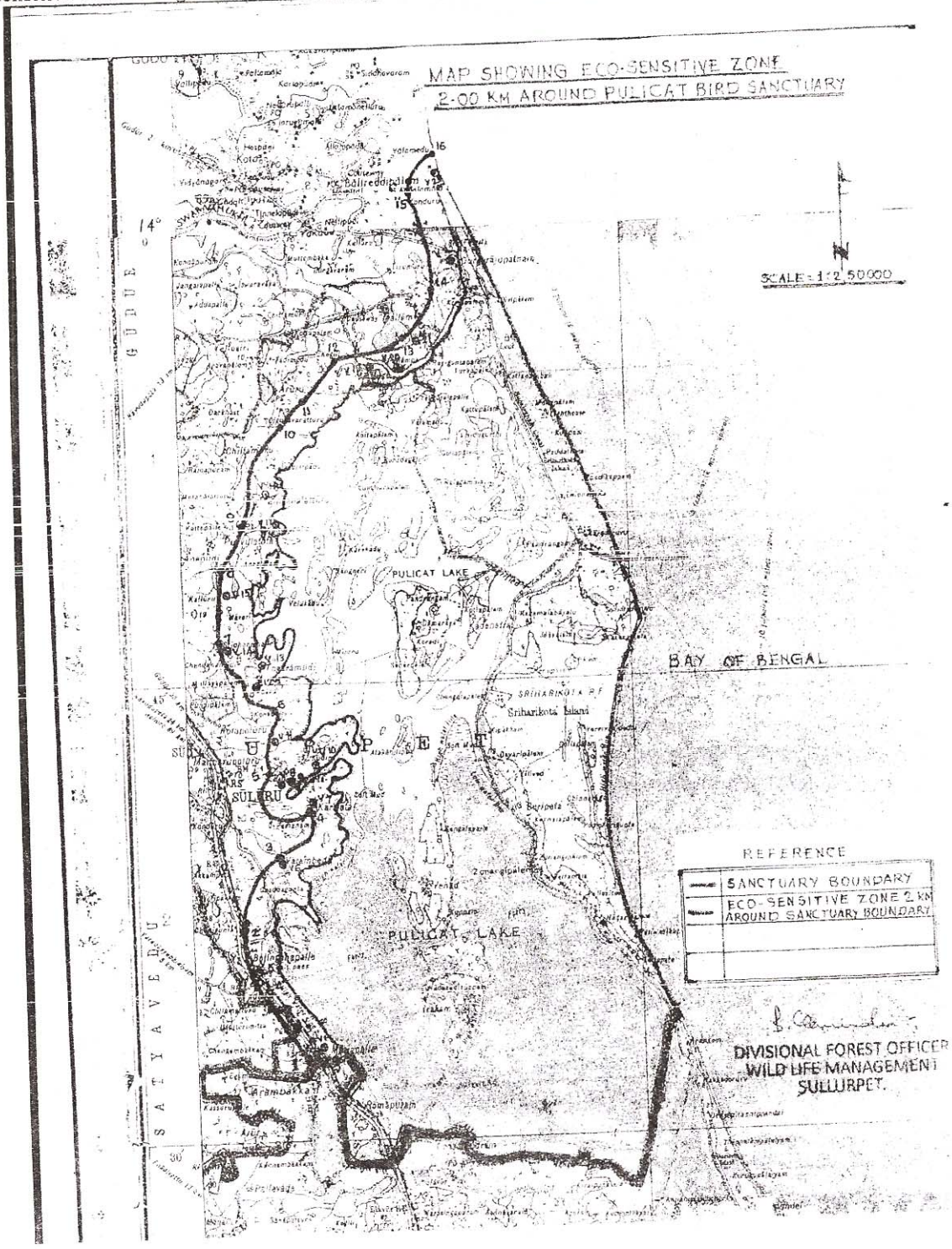

2845G1/15-6

Annexure - II contd..

Station No.	Longitude	Latitude
1	80.06430	13.54570
2	80.02710	13.62600
3	80.05350	13.64849
4	80.07013	13.68507
5	80.04316	13.69985
6	80.04981	13.73569
7	80.01249	13.77264
8	80.01540	13.81469
9	80.03244	13.83767
10	80.04722	13.89051
11	80.05759	13.90740
12	80.09156	13.92855
13	80.12279	13.92966
14	80.14064	13.96720
15	80.13368	13.01651
16	80.14561	13.04674

Annexure III

List of Villages falling within the Eco sensitive Zone

LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN ECO SENSITIVE ZONE			
S.No.	Name of the Revenue Village	Lat.	Long
V1	Bheemunivari Palem kuppam	13.5461200	80.0723000
V2	Bheemunivari Palem	13.5448200	80.0678900
V3	Pudi	13.5606700	80.0545200
V4	Tada	13.5874800	80.0347800
V5	Tada Kandriga	13.5953300	80.0292800
V6	Vatambedu	13.6543700	80.0481400
V7	Karijatha.	13.6831100	80.0657900
V8	Davadigunta	13.6952700	80.0430100
V9	KCN Gunta	13.6965500	80.0465800
V10	Kudiri	13.7071800	80.0704300
V11	Mannemutturu harijana wada	13.7182100	80.0301300
V12	Abaka	13.7499500	080.03.465
V13	Togaramudi	13.7604500	80.0419000
V14	Sridhanamalli	13.7742700	80.0202200
V15	Kalluru Kandriga	13.8006000	80.0267200
V16	Kattuvapalle	13.8348500	80.0442500
V17	Kattuvapalle harijana wada	13.8346800	80.0499400
V18	Singanalatturu	13.8567800	80.0369300
V19	Yelluru	13.9131500	80.1154300
V20	Pallamparthi	13.9231200	80.1229200
V21	Kokkupalem	13.9366400	80.1356000
V22	Duggarajapatnam	13.9803900	80.1560600
V23	Thupilipalem	14.0345000	80.1420100

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.